

## न्यायाधीशों में अनुशासन सुनिश्चित करना

### प्रलिस के लिये:

[सर्वोच्च न्यायालय](#), [अनुच्छेद 121](#), [अनुच्छेद 211](#), [अनुच्छेद 124\(4\)](#), [राष्ट्रपति](#), [उच्च न्यायालय](#), [लोकसभा](#), [राज्यसभा](#), [न्यायालय की अवमानना](#), [एससी कॉलेजियम](#), [राष्ट्रीय न्यायिक परिषद](#), [राष्ट्रीय न्यायिक निरीक्षण समिति](#)।

### मेन्स के लिये:

न्यायाधीशों में अनुशासन सुनिश्चित करने की आवश्यकता और प्रावधान ।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) ने [कर्नाटक उच्च न्यायालय](#) के एक न्यायाधीश की टिपिणी पर **गंभीर चिंता** व्यक्त की ।

- न्यायाधीश द्वारा माफी मांगने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपना हस्तक्षेप वापस ले लिया, लेकिन इससे न्यायापालिका द्वारा न्यायाधीशों को अनुशासित करने के संबंध में **संवैधानिक सीमाएँ उजागर होती हैं** ।

## भारत में न्यायाधीशों को अनुशासित करने की चुनौतियाँ क्या हैं?

- **संवैधानिक संरक्षण:** संविधान का [अनुच्छेद 121](#) सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर **संसदीय चर्चा पर प्रतिबंध** लगाता है, **सविय तब जब उनके नषिकासन के लिये प्रस्ताव रखा गया हो** ।
  - संविधान का [अनुच्छेद 211](#) राज्य विधानसभाओं को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अपने कर्तव्यों के निरवहन में आचरण पर चर्चा करने से रोकता है ।
- **महाभियोग की जटिल प्रक्रिया:** संविधान के [अनुच्छेद 124\(4\)](#) के तहत महाभियोग प्रस्ताव को कुल सदस्यता के बहुमत तथा प्रत्येक सदन में उपस्थिति और मतदान करने वाले कम-से-कम **दो-तर्हाई** सदस्यों द्वारा समर्थित होना आवश्यक है ।
  - उच्च महाभियोग सीमा यह सुनिश्चित करती है कि न्यायाधीशों को तुच्छ कारणों से आसानी से नहीं हटाया जा सकता, लेकिन इससे **कदाचार से निपटना कठिन हो जाता है** जो महाभियोग की प्रक्रिया तक नहीं पहुँचता ।
  - उदाहरणार्थ, इतिहास में केवल पाँच बार महाभियोग की कार्यवाही शुरू की गई है तथा सर्वोच्च न्यायालय के **किसी भी न्यायाधीश पर अभी तक महाभियोग नहीं लाया गया है** ।
- **संकीर्ण परिभाषा:** नषिकासन का आधार **सदिध कदाचार या अक्षमता** है ।
  - संविधान के [अनुच्छेद 124\(4\)](#) के तहत कदाचार एक उच्च मानक है, जिसमें **भ्रष्टाचार, नषिटा की कमी और नैतिक हीनता** शामिल हैं ।
  - न्यायिक कदाचार के कई उदाहरण, जैसे **अनुशासनहीनता, पक्षपात या अनुचित आचरण**, महाभियोग की सीमा को पूरा नहीं करते, जिससे न्यायापालिका के पास ऐसे कदाचार से निपटने के लिये बहुत कम विकल्प बचते हैं ।

## न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है?

- सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से उसके पद से हटाया जा सकता है ।
- राष्ट्रपति नषिकासन आदेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसे नषिकासन के लिये अभिषण प्रस्तुत किया गया हो ।
- अभिषण को संसद के प्रत्येक सदन के **विशेष बहुमत** (अर्थात् उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा उपस्थिति और मतदान करने वाले सदन के कम-से-कम दो-तर्हाई सदस्यों का बहुमत) द्वारा समर्थित होना चाहिये ।
- नषिकासन का आधार **सदिध कदाचार या अक्षमता** है ।
- [उच्च न्यायालय](#) के न्यायाधीश को **उसी तरीके से और उन्हीं आधारों पर** हटाया जा सकता है जसि तरह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है ।

- न्यायाधीश **जाँच अधिनियम, 1968** महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित **प्रक्रिया को** वनियमिति करता है।
  - **100 सदस्यों (लोकसभा के मामले में) या 50 सदस्यों (राज्यसभा के मामले में)** द्वारा हस्ताक्षरित नषिकासन प्रस्ताव अध्यक्ष/सभापति को दिया जाना है।
  - अध्यक्ष/सभापति प्रस्ताव को **स्वीकार कर सकते हैं अथवा** उसे स्वीकार करने से **इंकार कर सकते हैं**।
  - यदि इसे **स्वीकार कर लिया जाता है**, तो अध्यक्ष/सभापति को आरोपों की जाँच के लिये **तीन सदस्यीय समिति** गठित करनी होगी।
  - समिति में नमिनलखिति शामिल होने चाहिये-
    - **सर्वोच्च न्यायालय** का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश
    - **किसी उच्च न्यायालय** का मुख्य न्यायाधीश
    - **एक प्रतिष्ठित विधिवित्ता**
  - यदि समिति **न्यायाधीश को** दुर्व्यवहार/कदाचार का दोषी या अक्षमता से ग्रस्त पाती है, तो **सदन प्रस्ताव पर विचार** कर सकता है।
  - **संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत** से प्रस्ताव पारित होने के बाद, **न्यायाधीश को हटाने** के लिये राष्ट्रपति को एक संबोधन प्रस्तुत किया जाता है।
  - अंततः राष्ट्रपति **न्यायाधीश को हटाने का आदेश** जारी करते हैं।

## न्यायाधीशों को अनुशासति करने के अन्य प्रावधान क्या हैं?

- **न्यायिक हस्तक्षेप:** सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों को अनुशासति करने के लिये **न्यायिक कार्रवाई** कर सकता है।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के **सी.एस. करण को न्यायिक अवमानना** का दोषी ठहराया और उन्हें छह महीने के कारावास की सजा सुनाई।
- **स्थानांतरण नीति:** सर्वोच्च न्यायालय के पाँच वरिष्ठ न्यायाधीशों वाला सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं, द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की जाती है।
  - चूँकि कॉलेजियम के नरिणय **अपारदर्शी** होते हैं, इसलिये इस स्थानांतरण नीति का उपयोग **न्यायाधीशों को अनुशासति** करने के साधन के रूप में भी किया जा सकता है।
  - **उदाहरण के लिये, करनाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.डी. दनाकरन** पर महाभियोग का मामला लंबित होने के दौरान, कॉलेजियम द्वारा उन्हें **सकिकमि उच्च न्यायालय में स्थानांतरित** कर दिया गया।
- **इन-हाउस जाँच प्रक्रिया:** वर्ष 1999 की इन-हाउस जाँच प्रक्रिया के तहत, मुख्य न्यायाधीश संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से टपिपणी का अनुरोध कर सकते हैं, जो फरि संबंधित न्यायाधीश से प्रतिकरिया मांग सकते हैं।
  - यदि अधिक **व्यापक जाँच** की आवश्यकता समझी जाती है, तो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अन्य उच्च न्यायालयों के **दो मुख्य न्यायाधीशों तथा तथ्यान्वेषी जाँच** के लिये एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तीन सदस्यीय समिति गठित की जा सकती है।
- **नदि नीति:** संबंधित न्यायाधीश को अपने पद से **इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानवित्त लेने की सलाह** दी जा सकती है।
  - यदि न्यायाधीश इस्तीफा देने या सेवानवित्त होने से इनकार करता है, तो मुख्य न्यायाधीश संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सलाह दे सकते हैं कि वे न्यायाधीश को **कोई न्यायिक कार्य न सौंपें**।
- **न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनरस्थापन, 1997:** सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1997 में **न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनरस्थापन** नामक एक चार्टर को अपनाया जिसमें 16 बदि शामिल थे।
  - यह **न्यायिक आचार संहिता है, जो स्वतंत्र एवं नषिपक्ष न्यायपालिका** के लिये **मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है**, साथ ही न्यायाधीशों में अनुशासन बनाए रखने में मदद कर सकती है।

## वशिव स्तर पर न्यायिक अनुशासन कैसे बनाए रखा जाता है?

- **लथिआनया:** लथिआनया में न्यायिक अनुशासन से नपिटने वाली दो संस्थाएँ **न्यायिक नैतिकता और अनुशासन आयोग तथा न्यायिक सम्मान न्यायालय**।
- **जर्मनी:** न्यायाधीश अधिनियम, 1972 की धारा 77 के अनुसार, **संघीय राज्यों के पास** सामान्य न्यायालयों के न्यायाधीशों के पर्यवेक्षण के लिये अपने स्वयं के **वशिव न्यायाधिकरण** हैं।
  - ऐसा न्यायाधिकरण **संघीय स्तर पर संघीय न्यायाधीशों के लिये भी मौजूद है**, जो जर्मन संघीय न्यायालय के भीतर एक वशिव सीनेट के रूप में है।
- **स्कॉटलैंड:** स्तर न्यायालय के लॉर्ड प्रेसिडेंट अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं में **जाँच हेतु किसी व्यक्ति को नामित कर सकते हैं**।
- **बंगलूरू न्यायिक आचरण के सिद्धांत:** इसका उद्देश्य **न्यायाधीशों के लिये नैतिक मानदंड** नरिधारित करना, **न्यायिक व्यवहार को वनियमिति** करने के लिये एक रूपरेखा प्रदान करना तथा न्यायिक नैतिकता बनाए रखने पर मार्गदर्शन प्रदान करना है।
  - इसे वर्ष 2006 में **संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC)** द्वारा अपनाया गया था।
- **न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धांत, 1985:** इन सिद्धांतों का उद्देश्य **आदर्श न्यायिक स्वतंत्रता और वास्तविक वशिव की प्रथाओं** के बीच के अंतर को कम करना है साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि न्याय कायम रहे, मानव अधिकारों की रक्षा हो और न्यायपालिका भेदभाव से मुक्त होकर कार्य करे।

## न्यायाधीशों में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- **राष्ट्रीय न्यायिक परिषद (NJC) की स्थापना:** **न्यायाधीश (जाँच) विधियक, 2006** को पुनरजीवित और पारित करना, जिसका उद्देश्य **न्यायाधीशों की अक्षमता या कदाचार के आरोपों की जाँच की नगिरानी** के लिये NJC का नरिमाण करना है।

- न्यायिक नरीकरण समिति: न्यायिक मानक और जवाबदेही वधियक, 2010 को पुनर्जीवित और पारित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक नरीकरण समिति, शिकायत जाँच पैनल और एक जाँच समिति की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
- आचरण के स्पष्ट मानक: न्यायाधीशों के लिये एक आचार संहिता विकसित कर उसे लागू करना, जिसमें अपेक्षित व्यवहार, नैतिक मानकों और उल्लंघनों को संबोधित करने की प्रक्रियाओं की रूपरेखा हो। जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिये यह संहिता सार्वजनिक रूप से सुलभ होनी चाहिये।
- न्यायिक नषिपादन मूल्यांकन: मामले के नपिटान की दर, नैतिक मानकों का पालन, तथा वादियों और साथियों से प्राप्त फीडबैक जैसे मानदंडों के आधार पर न्यायाधीशों के नषिपादन के मूल्यांकन के लिये एक प्रणाली लागू करना।
  - उदाहरण के लिये, ओडिशा में एक न्यायिक अधिकारी से एक वर्ष में 240 कार्य दिवसों के बराबर कार्य नषिपादन की अपेक्षा की जाती है।
- परसिंपत्तियों की घोषणा और पारदर्शिता: न्यायाधीशों को अपनी परसिंपत्तियों और देनदारियों की घोषणा करने का आदेश देना तथा यह जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना। यह उपाय भ्रष्टाचार को रोकने और न्यायपालिका में जनता का विश्वास बढ़ाने में मदद कर सकता है।
- अनवार्य प्रशिक्षण और कार्यशालाएँ: न्यायाधीशों के बीच जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये न्यायिक नैतिकता, भेदभाव-विरोधी कानूनों और नषिपक्षता के महत्त्व पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ आयोजित करना।
- न्यायिक स्वतंत्रता सुरक्षा: जवाबदेही बढ़ाने के साथ-साथ न्यायिक स्वतंत्रता की सुरक्षा करना भी महत्त्वपूर्ण है। किसी भी सुधार में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि न्यायाधीशों को जवाबदेह ठहराने की प्रक्रिया नषिपक्ष नरिणय लेने की उनकी क्षमता को कम न करे।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: न्यायिक अधिकारियों के बीच जवाबदेही और आचरण के उच्च मानकों को बढ़ावा देने के लिये क्या उपाय लागू किये जा सकते हैं?

## यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**????????**

प्रश्न. भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में नमिनलखित कथनों पर वचिर कीजयि:

1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानवृत्त न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के राष्ट्रपतकी पूरव अनुमतसे वापस बैठने और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लयि बुलाया जा सकता है।
2. भारत में उच्च न्यायालय के पास अपने नरिणय की समीक्षा करने की शक्त है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय करता है।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

**??????:**

प्रश्न. भारत में उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नयुक्तके संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नयुक्तआयोग अधनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का आलोचनात्मक परीक्षण कीजयि। (150 शब्द)